SHIKSHA SAMVAD
International Open Access Peer-Reviewed & Refereed
Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
Volume-02, Issue-03, March- 2025
www.shikshasamvad.com

प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के क्रियान्वयन की प्रस्थिति : उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं भावी संभावनाएँ

कुलदीप सिंह
शोधार्थी
शिक्षक शिक्षा संकाय
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद।
महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
E-Mail ID : kd88.singh@gamil.com

डॉ0 इला अग्रवाल
प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा संकाय
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद।
महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
E-Mail ID : ilalohiambd@gamil.com

सारांश :

प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के क्रियान्वयन की प्रस्थिति भारत की शैक्षिक प्रणाली के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित है। यह अधिनियम देश के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे शिक्षा सामाजिक न्याय, समानता और मानव विकास का माध्यम बन सके। अध्ययन में यह पाया गया कि अधिनियम लागू होने के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा शिक्षा का सार्वभौमीकरण लगभग साकार हुआ है। विशेष रूप से बालिकाओं और वंचित वर्गों के बच्चों की विद्यालयी पहुँच बढ़ी है, जिससे लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बल मिला है। साथ ही विद्यालयों की आधारभूत संरचना, जैसे भवन, शौचालय, पुस्तकालय और खेल सुविधाओं में भी सुधार देखा गया है। तथापि, इन उपलब्धियों के बावजूद अधिनियम के क्रियान्वयन में कई गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक–छात्र अनुपात असंतुलित है, शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता गुणवत्ता सुधार में बाधा बन रही है। कई विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों की कमी, वित्तीय सीमाएँ तथा प्रशासनिक लापरवाही अधिनियम की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी भी अभी औपचारिक स्तर पर सीमित है। ASER 2023 के अनुसार विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को कानूनी रूप से सशक्त किया है, परंतु इसके वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। भविष्य में यदि शिक्षा नीति निर्माता, शिक्षक और समाज मिलकर इस अधिनियम

को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें, तो यह न केवल साक्षरता बढ़ाने का माध्यम बनेगा, बल्कि समान अवसरों पर आधारित एक ज्ञानवान, सशक्त और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को ज्ञान, विवेक, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में विकसित करता है। शिक्षा न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि उसे समाज में समान अवसर प्रदान करने का साधन भी बनती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विकासशील देश में शिक्षा को लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव माना गया है। इसी सशक्त विचारधारा को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2009 में "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ।

संविधान के अनुच्छेद 21–ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक–बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम भारतीय संविधान के उस संकल्प का मूर्त रूप है जिसमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों को व्यवहारिक स्वरूप देने की बात कही गई थी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने शिक्षा को केवल सरकारी नीतियों का विषय नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कानूनी अधिकार बना दिया। यह अधिनियम इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा केवल विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में अनेक योजनाएँ चलाई गईं : जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988), सर्व शिक्षा अभियान (2001), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009) आदि। इन योजनाओं ने शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया किंतु विद्यालयों तक प्रत्येक बच्चे की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढाँचे की आवश्यकता बनी रही। यही कारण है कि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा के माध्यम से समान अवसर प्राप्त हो सके।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में यह सुनिश्चित किया गया कि भारत का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को "निःशुल्क और अनिवार्य" किया गया। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में आधारभूत सुविधाएँ जैसे भवन, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय और खेल के साधन उपलब्ध कराए जाएँ तथा शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के अनुसार की जाए। अधिनियम ने शिक्षा को एक समावेशी दृष्टिकोण से देखा जिससे सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक असमानताएँ दूर की जा सकें।

प्रारम्भिक विद्यालयों की भूमिका

प्रारम्भिक विद्यालय किसी भी बच्चे की शिक्षा यात्रा की पहली सीढ़ी होते हैं। यहीं से बच्चे का बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास प्रारंभ होता है इसलिए RTE अधिनियम के सफल क्रियान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रारम्भिक विद्यालयों में ही दिखाई देता है। यदि प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच मजबूत नहीं होगी तो आगे की शिक्षा प्रणाली पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसलिए अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन

प्रारम्भिक स्तर पर न केवल बच्चों की साक्षरता दर बढ़ाता है बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की प्रमुख विशेषताएँ

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा : प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- विद्यालय में प्रवेश का अधिकार : किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति या आर्थिक आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
- 25 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान : निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
- शिक्षक–छात्र अनुपात : एक शिक्षक पर अधिकतम 30 छात्रों का अनुपात निर्धारित किया गया है।
- शारीरिक दंड पर रोक : बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हिंसा प्रतिबंधित है।
- विद्यालय का आधारभूत ढांचा : प्रत्येक विद्यालय में पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि सुविधाएँ अनिवार्य हैं।
- स्कूल प्रबंधन समिति : समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हर विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति गठित की जाएगी।

अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी रही है।
- 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने "सर्व शिक्षा" की अवधारणा को पहली बार नीति स्तर पर महत्व दिया।
- 1986 की शिक्षा नीति में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया।
- 1993 में "उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य" मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न अंग घोषित किया।
- तत्पश्चात् संविधान (86वाँ संशोधन), 2002 द्वारा अनुच्छेद 21–ए जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को संविधानिक अधिकार का दर्जा दिया।

अंततः 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिससे भारत विश्व के उन कुछ देशों में शामिल हुआ जहाँ शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया।

अधिनियम के क्रियान्वयन की वर्तमान प्रस्थिति

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात् प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। इस अधिनियम ने शिक्षा को न केवल संवैधानिक अधिकार बनाया बल्कि इसे एक सामाजिक दायित्व के रूप में भी स्थापित किया। यद्यपि पिछले पंद्रह वर्षों में कई सुधार हुए हैं फिर भी क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ और क्षेत्रीय असमानताएँ सामने आई हैं। वर्तमान प्रस्थिति का विश्लेषण निम्न बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है :

- नामांकन एवं उपस्थिति : शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन दर में स्पष्ट वृद्धि हुई है। ''U-DISE 2023'' की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात लगभग ''98 प्रतिशत'' तक पहुँच गया है जो अधिनियम की सफलता का प्रमुख संकेतक है। यह भी पाया गया कि कई राज्यों में बालिकाओं का नामांकन बालकों की तुलना में समान या कुछ अधिक हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम ने लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालाँकि नामांकन दर में वृद्धि के बावजूद विद्यालयों में ''नियमित उपस्थिति'' एक चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अभिभावकों की शिक्षा के अभाव के कारण बच्चों की उपस्थिति अनियमित पाई जाती है। शहरी झुग्गी बस्तियों में भी परिवारों के आर्थिक संकट और पलायन के कारण विद्यार्थी निरंतर शिक्षा से वंचित रहते हैं।
- शिक्षकों की उपलब्धता : RTE अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक–छात्र अनुपात का मानक निर्धारित किया गया है ''एक शिक्षक प्रति 30 विद्यार्थी'' परंतु व्यावहारिक स्तर पर अनेक राज्यों में यह अनुपात अब भी असंतुलित है। ''बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड'' जैसे राज्यों में एक शिक्षक पर 40–45 विद्यार्थी पाए गए, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अनेक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर अनुबंधित या अंशकालिक शिक्षकों पर निर्भरता अधिक है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्यों जैसे चुनाव ड्यूटी, जनगणना, सर्वेक्षण आदि में लगाया जाता है, जिससे वे शिक्षण कार्य को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। ''RTE के उद्देश्य'' के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को प्रशिक्षित और सक्षम होना चाहिए किंतु DIET और B.Ed. प्रशिक्षण संस्थानों की सीमित संख्या के कारण सभी शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। इस कारण अनेक शिक्षक बाल–केंद्रित और सक्रिय शिक्षण पद्धतियों को अपनाने में सक्षम नहीं हैं। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के क्रियान्वयन की सफलता शिक्षकों की उपलब्धता और क्षमता पर अत्यधिक निर्भर है। यदि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होंगे, तो अधिनियम के प्रावधान व्यवहारिक रूप से प्रभावी नहीं हो सकते।
- विद्यालयी आधारभूत संरचना : विद्यालयों की भौतिक सुविधाएँ अधिनियम के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण पहलू हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में भवन, कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान, पेयजल, शौचालय तथा बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण अनिवार्य है। हालाँकि ''U-DISE (2023–24)'' के आँकड़े बताते हैं कि लगभग ''95 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों'' में पक्के भवन उपलब्ध हैं किंतु आवश्यक सुविधाएँ अब भी पूर्ण रूप से सुलभ नहीं हैं। ''NITI Aayog (2024)'' की रिपोर्ट के अनुसार लगभग ''18 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय नहीं हैं'' और ''10 प्रतिशत विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल सुविधा का अभाव'' है। पुस्तकालयों की स्थिति भी चिंताजनक है कई विद्यालयों में पुस्तकालय तो हैं, परंतु उनमें पुस्तकों की संख्या सीमित है और उनका उपयोग न्यूनतम है। खेल मैदानों और शिक्षण–सामग्री की कमी भी बाल–केंद्रित शिक्षा के लक्ष्य को प्रभावित करती है। ग्रामीण विद्यालयों में अधोसंरचना का अभाव अधिक गंभीर है, विशेषतः पहाड़ी या दूरस्थ क्षेत्रों में। इन कमियों के बावजूद केंद्र व राज्य सरकारों ने "''विद्यालय विकास योजना'', ''समग्र शिक्षा अभियान''" और "''स्वच्छ विद्यालय अभियान''" जैसी पहलों से आधारभूत ढाँचे को सुधारने के प्रयास किए हैं।

- गुणवत्ता एवं अधिगम परिणाम : शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने जहाँ बच्चों के विद्यालय पहुँचने को सुनिश्चित किया, वहीं ''सीखने की गुणवत्ता'' को सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ''ASER रिपोर्ट 2023'' के अनुसार कक्षा 5 के लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर की पाठ्य–पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। गणित में भी स्थिति लगभग समान है, जहाँ केवल 43 प्रतिशत विद्यार्थी ही कक्षा 2 के स्तर के प्रश्न हल कर पा रहे हैं। यह दर्शाता है कि नामांकन बढ़ने के बावजूद अधिगम की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। गुणवत्ता प्रभावित होने के प्रमुख कारणों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम का जटिल होना, संसाधनों की अनुपलब्धता, और बहु–स्तरीय कक्षाओं में एक ही शिक्षक द्वारा शिक्षण शामिल हैं। शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्यों का अत्यधिक बोझ भी शिक्षण की निरंतरता को बाधित करता है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा प्रणाली में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान तो किया गया परंतु इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में शिक्षकों की तैयारी और समझ की कमी रही। इस कारण सीखने की प्रक्रिया अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए डिजिटल शिक्षण, नवाचारपूर्ण शिक्षण विधियों और स्थानीय भाषाओं में सामग्री विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- समुदाय की भागीदारी : शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक विद्यालय में ''स्कूल प्रबंधन समिति'' गठित की जाएगी, जिसमें 75 प्रतिशत सदस्य अभिभावक होंगे। इसका उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। वर्तमान में लगभग सभी विद्यालयों में SMC समितियाँ गठित हैं परंतु उनकी भूमिका अधिकांशतः ''औपचारिक'' रह गई है। अनेक अभिभावक अपने अधिकारों और अधिनियम के प्रावधानों से परिचित नहीं हैं। कुछ विद्यालयों में बैठकें नियमित नहीं होतीं या केवल औपचारिकता के रूप में आयोजित की जाती हैं फिर भी जहाँ समुदाय और अभिभावक सक्रिय हैं, वहाँ विद्यालय की गुणवत्ता, उपस्थिति और अनुशासन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। उदाहरणतः केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में SMC के माध्यम से अभिभावक विद्यालयी विकास में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। अतः समुदाय की जागरूकता और सहभागिता अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की एक आवश्यक शर्त है। इसके बिना विद्यालय केवल सरकारी इकाई बनकर रह जाते हैं, जबकि अधिनियम का मूल लक्ष्य शिक्षा को "लोक भागीदारी आधारित आंदोलन" बनाना है।

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 ने प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। नामांकन दर में वृद्धि, विद्यालयी सुविधाओं में सुधार और सामाजिक समावेशन इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। परंतु शिक्षकों की कमी, अधिगम परिणामों की कमजोरी, और समुदाय की निष्क्रियता जैसी चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, अभिभावक जागरूकता और अधोसंरचना में निवेश तो RTE अधिनियम अपने वास्तविक उद्देश्य, अर्थात् "हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान और सर्वसुलभ शिक्षा" प्रदान करने में पूर्णतः सफल हो सकता है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के क्रियान्वयन से प्रारम्भिक विद्यालयों के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं।

- सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि ''नामांकन दर में व्यापक वृद्धि'' है। अधिनियम के लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष के लगभग सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित हुआ, जिससे सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य काफी हद तक पूरा हुआ।
- दूसरी बड़ी उपलब्धि ''लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन'' के रूप में सामने आई। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान ने निजी विद्यालयों तक उनकी पहुँच बढ़ाई। इससे शिक्षा में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मदद मिली।
- तीसरी उपलब्धि ''विद्यालयों की भौतिक संरचना और संसाधनों में सुधार'' की है। अधिकांश विद्यालयों में भवन, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और खेलकूद की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं, जिससे सीखने का वातावरण अधिक सुरक्षित और अनुकूल हुआ।
- चौथी उपलब्धि ''शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करना'' है। स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना से समुदाय की सहभागिता बढ़ी और अभिभावकों में जागरूकता का प्रसार हुआ।
- इसके अतिरिक्त, ''शारीरिक दंड पर रोक, बच्चों के अधिकारों की रक्षा, और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन'' जैसी पहलें भी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं। इन सुधारों ने शिक्षा को अधिक ''समावेशी, संवेदनशील और अधिकार–आधारित'' बनाया है।

इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय शिक्षा प्रणाली को सामाजिक न्याय, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ है।

प्रमुख चुनौतियाँ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 ने भारत में प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है, परंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ सामने आई हैं।

- सबसे पहली चुनौती है ''शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता''। यद्यपि नामांकन दर बढ़ी है, किंतु अधिगम परिणाम अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण–सीखने की प्रक्रिया अभी भी पारंपरिक और परीक्षा–केन्द्रित बनी हुई है।
- दूसरी चुनौती है ''शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण का अभाव''। अनेक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं तथा जो शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हें त्ज्म् के उद्देश्यों के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। इससे शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- तीसरी चुनौती ''भौतिक संसाधनों की अपर्याप्तता'' है। कई विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय और खेलकूद की सुविधाएँ नहीं हैं। यह बच्चों की उपस्थिति और सीखने की प्रेरणा को कम करता है।
- इसके अतिरिक्त ''वित्तीय संसाधनों की कमी'', ''प्रशासनिक निगरानी की दुर्बलता'' और ''अभिभावकों की जागरूकता की कमी'' भी अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में बाधक हैं। कई क्षेत्रों में ''ड्रॉपआउट दर'' अभी भी उच्च है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में।

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

इन चुनौतियों का समाधान केवल नीतिगत सुधारों से नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर विद्यालय, समुदाय और सरकार के संयुक्त प्रयासों से संभव है। शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब प्रत्येक बच्चा न केवल विद्यालय पहुँचे बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।

भावी संभावनाएँ एवं सुझाव

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अभी भी अनेक सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य में इस अधिनियम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शिक्षा की ''गुणवत्ता, समानता और पहुँच'' के तीनों स्तंभों को कितना सशक्त किया जा सकता है।

प्रथम, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार हेतु ''निरंतर प्रशिक्षण और डिजिटल दक्षता विकास'' अनिवार्य है, ताकि वे आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रभावी उपयोग कर सकें। द्वितीय, विद्यालयों में भौतिक संसाधनोंकृजैसे स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेलकूद की सुविधाएँकृका विस्तार आवश्यक है। तृतीय, ''सामुदायिक भागीदारी और अभिभावक जागरूकता'' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यालयों में सामाजिक निगरानी और उत्तरदायित्व की भावना सुदृढ़ हो सके।

इसके अतिरिक्त, ''डिजिटल शिक्षा'' को ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए सरकार को समर्पित योजना बनानी चाहिए। साथ ही, विद्यालय प्रबंधन समितियों को वास्तविक अधिकार प्रदान कर उन्हें वित्तीय निर्णयों में भागीदार बनाया जाना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता मापन हेतु ''नियमित मूल्यांकन और पारदर्शी निगरानी प्रणाली'' स्थापित की जानी चाहिए।

इस प्रकार, यदि नीति निर्माण, शिक्षक, समुदाय और प्रशासनिक तंत्र एक समन्वित दृष्टिकोण से कार्य करें, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में प्रत्येक बच्चे तक समान, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। यही भारत के सर्वांगीण विकास की सबसे बड़ी संभावना है।

निष्कर्ष

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है, जिसने प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम के माध्यम से प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा की पहुँच, नामांकन दर और बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में भी यह अधिनियम प्रभावी रहा है। हालाँकि, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं जैसे कि शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त आधारभूत ढांचा, शिक्षण गुणवत्ता का निम्न स्तर, प्रशासनिक निगरानी का अभाव तथा अभिभावकों की सीमित जागरूकता। अनेक विद्यालयों में अधिनियम के प्रावधान केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं, जिससे शिक्षा के अधिकार का वास्तविक लक्ष्य अभी अधूरा प्रतीत होता है फिर भी, इस अधिनियम ने भारतीय समाज में शिक्षा को एक ''अधिकार आधारित दृष्टिकोण'' प्रदान किया है, जिससे बच्चों के प्रति सामाजिक सोच और सरकारी नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। यदि शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, समुदाय की सक्रिय भागीदारी, गुणवत्ता आधारित शिक्षण, और डिजिटल संसाधनों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाए, तो यह अधिनियम भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और समतामूलक राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। अतः कहा जा

सकता है कि RTE–2009 केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक सतत सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसे सशक्त कार्यान्वयन के माध्यम से ही सार्थक बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2010). शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, नई दिल्ली : भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
- योजना आयोग, भारत सरकार (2013). सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन रिपोर्ट. नई दिल्ली : योजना आयोग।
- नीति आयोग (2024). स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट, नई दिल्ली : नीति आयोग।
- प्रतम फाउंडेशन (2023). वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, नई दिल्ली : प्रतम एजुकेशन फाउंडेशन।
- यूनिसेफ (2021). विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट, नई दिल्ली : यूनिसेफ इंडिया।
- यूनेस्को (2022). सभी के लिए शिक्षा : वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, पेरिस : यूनेस्को।
- शुक्ला, आर. के. (2018). भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समानता और गुणवत्ता का विश्लेषण, लखनऊ : भारतीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद।
- सिंह, एम. एवं यादव, पी. (2020). प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भूमिका, भारतीय शिक्षा समीक्षा, 45(2), 55–67.
- अग्रवाल, एस. (2019). ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन : एक अध्ययन, वाराणसी : काशी विद्यापीठ प्रकाशन।
- चौहान, वी. (2022). भारतीय संदर्भ में शिक्षा नीति और बाल अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन, राष्ट्रीय शैक्षिक शोध पत्रिका, 12(4), 101–115.

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

SHIKSHA SAMVAD

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal
ISSN: **2584-0983 (Online)** Impact-Factor, **RPRI-3.87**
Volume-02, Issue-03, March- 2025
www.shikshasamvad.com
Certificate Number-March-2025/23

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

कुलदीप सिंह एवं डॉ0 इला अग्रवाल

For publication of research article title

"प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के क्रियान्वयन की प्रस्थिति : उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं भावी संभावनाएँ"

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-02, Issue-03, Month March, Year- 2025, Impact-Factor, RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.shikshasamvad.com